# संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 और संबद्ध मुद्दे

| यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित | |
|---|---|
| **प्रारम्भिक परीक्षा** | **मुख्य परीक्षा** |
| **प्रथम प्रश्न पत्र :** पर्यावरण संबद्ध मुद्दे | **द्वितीय और तृतीय प्रश्न पत्र :** सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण |

## प्रसंग

- हाल ही में, महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों की रक्षा पर एक अंतरराष्ट्रीय समझौते की संभावना का पता लगाने के लिए केन्या और पुर्तगाल सरकार की सह-अध्यक्षता में साझा लक्ष्य को प्राप्त करने पर केंद्रित पांच दिवसीय विमर्श लिस्बन में संपन्न हुआ।
- विदित है कि सम्मेलन में 150 से अधिक देशों के 6,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें 24 राष्ट्राध्यक्ष और सरकार शामिल हुए।

**साझा भविष्य के लिये स्वस्थ सागर**

- प्रथम यूएन महासागर सम्मेलन
    - प्रथम यूएन महासागर सम्मेलन पाँच वर्ष पहले 2017 में न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ था।
    - इसमें प्रतिनिधियों ने महासागर के स्वास्थ्य में आए क्षरण को दूर करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी।
    - विदित है कि उसके बाद से अब तक कुछ प्रगति दर्ज की गई है और महासागरों को क्षति पहुंचाने वाले वैश्विक प्लास्टिक कचरा संकट के प्रभावी निदान के लिये नई सन्धियों पर वार्ताएं आयोजित की जा रही हैं।
    - टिकाऊ विकास के लिये महासागर विज्ञान के यूएन दशक (2021-2030) के अंतर्गत विज्ञान आधारित उपाय को अग्रसारित किया जा रहा है।

**चार महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ**

- सतत महासागर अर्थव्यवस्थाओं में निवेश
    - सभी हितधारकों से, दीर्घकालीन वित्तपोषण के ज़रिये भोजन, नवीकरणीय ऊर्जा और आजीविका के लिये सतत महासागर अर्थव्यवस्थाओं में निवेश की मांग की गई।
    - ज्ञातव्य है कि घोषित सभी 17 टिकाऊ विकास लक्ष्यों में, 14वें लक्ष्य को सबसे कम समर्थन प्राप्त हुआ है, जोकि टिकाऊ विकास के लिये महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण व सतत उपयोग पर आधारित है।
    - सतत महासागर प्रबन्धन के ज़रिये, वर्तमान समय की तुलना में, महासागर छह गुना अधिक भोजन और 40 गुना अधिक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं।
- वैश्विक साझा संसाधनों का युक्तियुक्त प्रबन्धन
    - वैश्विक साझा संसाधनों के प्रबन्धन को ध्यान में रखते हुए जनकल्याण हेतु महासागरों को एक मानक के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया।
    - इसका अर्थ है, भूमि और समुद्र-आधारित स्रोतों, दोनों से, सभी प्रकार के समुद्री प्रदूषण की रोकथाम और उसमें कमी लाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
    - इसके लिए क्षेत्र-आधारित प्रभावी संरक्षण उपायों व एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबन्धन की सीमा और स्तर का विस्तार किया जाना चाहिए।

- जन सुरक्षा से संबद्ध मुद्दे
  - आयोजन में महासागरों और मानव जीवन व आजीविका के दृष्टिगत अधिक संरक्षण के उपाय को अंगीकार करने की मांग की गई।
  - इस हेतु जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने और जलवायु सहनीय तटीय ढाँचे में निवेश किया जाना महत्वपूर्ण उपाय सिद्ध हो सकता है।
  - सभी सदस्य देशों से हाल ही में शुरू की गई एक पहल में शामिल होने का आग्रह किया गया, जिसका उद्देश्य आगामी पाँच वर्षों में सभी देशों को समय पूर्व चेतावनी प्रणाली के अंतर्गत में लाना है, ताकि तटीय समुदायों में रहने वालों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।
- **विज्ञान व नवाचार**
  - वैश्विक महासागर कार्रवाई में तेजी के लिए अधिकाधिक विज्ञान व नवाचारी उपायों की आवश्यकता को रेखांकित किया गया।
  - निजी क्षेत्र से महासागर शोध व टिकाऊ प्रबन्धन के लिये साझीदारियों में शामिल होने का आहवान किया गया और महासागरों के स्वास्थ्य में बेहतरी लाने के लिये, देशों की सरकारों से महत्वाकांक्षा का स्तर बढ़ाने का आग्रह किया गया।

**संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य संख्या 14**

- **एसडीजी 14**
  - संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन (यूएनओसी) में एसडीजी 14 के अंतर्गत एक साझा लक्ष्य को प्राप्त करने पर केंद्रित पांच दिवसीय वार्ता आयोजित की गई।
  - ध्यातव्य है कि एसडीजी 14 का उद्देश्य जल के नीचे जीवन की रक्षा करना है।
  - इसके अतिरिक्त सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने सैकड़ों संरक्षण प्रतिबद्धताएं कीं तथा साथ ही महासागरों की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने का समर्थन किया।

- 17 सतत् विकास लक्ष्य और 169 उद्देश्य सतत् विकास के लिए 2030 एजेंडा के अंग हैं, जिसे सितम्बर, 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की शिखर बैठक में 193 सदस्य देशों ने अनुमोदित किया था।
- यह एजेंडा 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी हुआ।
- इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक अधिक संपन्न, अधिक समतावादी और अधिक संरक्षित विश्व की रचना करना है।

- **एसडीजी 14 क्या है?**
  - संयुक्त राष्ट्र ने एसडीजी 14 के अंतर्गत 10 लक्ष्यों और 10 संकेतकों को परिभाषित किया है।
  - सतत विकास लक्ष्य 14 के अंतर्गत समुद्री प्रदूषण और समुद्र के अम्लीकरण का रोकथाम और कम करना, समुद्री और तटीय पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना और मछली पकड़ने को विनियमित करना शामिल है।

| एसडीजी 14 के उद्देश्य | |
|---|---|
| **1.** | 2025 तक, विशेषकर समुद्री मलबे और पोषक तत्वों के दूषण सहित जमीन पर होने वाली गतिविधियों के कारण हर तरह के समुद्री प्रदूषण की रोकथाम और उसमें उल्लेखनीय कमी करना। |
| **2.** | 2020 तक, बहुत अधिक विपरीत प्रभावों से बचने के लिए समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी का संवहनीय प्रबंधन और संरक्षण करना। |
| **3.** | महासागरों के अम्लीकरण का प्रभाव कम से कम और निदान करना तथा इसके लिए सभी स्तरों पर वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ाना। |
| **4.** | 2020 तक, मछली की पकड़ और सीमा से अधिक मछली निकालने, अवैध, बिना बताए और बिना किसी नियमन के मछली पकड़ने पर रोक लगाने और मछली पकड़ने के विनाशकारी तरीकों को खत्म करने तथा वैज्ञानिक प्रबंधन योजनाओं पर अमल करने के कारगर उपाय करना, ताकि कम से कम व्यावहारिक समय में मछलियों के भंडार पहले की स्थिति में या कम से कम ऐसे स्तरों पर तो आएं, जिनसे जैविक गुणों के अनुसार निर्धारित अधिकतम टिकाऊ पैदावार मिल सके। |
| **5.** | 2020 तक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप तथा सर्वोत्तम उपलब्ध वैज्ञानिक सूचना के आधार पर कम से कम 10% तटीय और समुद्री क्षेत्रों का संरक्षण करना। |
| **6.** | 2020 तक अत्यधिक मछली पकड़ने में योगदान देने वाली सब्सिडी को समाप्त करना |
| **7.** | 2030 तक समुद्री संसाधनों के संवहनीय उपयोग से छोटे द्वीपीय विकासशील देशों और सबसे कम विकसित देशों के लिए आर्थिक लाभ बढ़ाना। |
| **8.** | अंतर-सरकारी महासागरीय आयोग मानक और समुद्री टैक्नॉलॉजी सौंपने के बारे में दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक ज्ञान बढ़ाना, अनुसंधान क्षमता बढ़ाना, समुद्री टैक्नॉलॉजी के बारे में अनुसंधान क्षमता विकसित करना और साझा करना। |
| **9.** | यूएनसीएलओएस में निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय कानून का क्रियान्वयन सुनिश्चित करके के जरिए महासागरों और उनके संसाधनों का संरक्षण और संवहनीय उपयोग बढ़ाना। |

- **लिस्बन घोषणा**
    - प्रतिनिधियों ने लिस्बन घोषणा संबद्ध वक्तव्य को अनुसमर्थन प्रदान किया, जो उक्त गतिविधियों से जुड़े कार्यों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए छोटे द्वीपों और विकासशील देशों की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए "महासागर के समक्ष वैश्विक आपातकाल" से निपटने के लिए आवश्यक विज्ञान-आधारित कार्यों की एक श्रृंखला प्रस्तुत करता है।
    - इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिबद्धता व्यक्त की गई
        - ✓ वर्ष 2030 तक कम से कम 30% राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्रों की रक्षा करने की दिशा में पहल करना।
        - ✓ 2040 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करना।
        - ✓ महासागरीय अम्लीकरण, जलवायु लचीलापन और निगरानी पर अनुसंधान के लिए धन आवंटित करना।
        - ✓ समुद्र की आपात स्थिति के प्रभावी निदान के लिए विज्ञान आधारित और नवोन्मेषी कार्रवाइयां को प्रोत्साहन देना।
        - ✓ महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाकर एसडीजी14 (जल के नीचे जीवन) के कार्यान्वयन का समर्थन करना और एक स्थायी महासागर आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए उनकी भागीदारी को पहचानना महत्वपूर्ण है।
        - ✓ राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों में जैव विविधता की रक्षा करना, जो देशों के 200-मील (322-किलोमीटर) विशेष आर्थिक क्षेत्रों के बाहर स्थित है।

**समुद्र स्वच्छता की दिशा में वैश्विक पहल**

- अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तटीय सफाई दिवस
    - विश्व स्तर पर "अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तटीय सफाई दिवस" प्रत्येक वर्ष सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है।
    - विदित है कि इस वर्ष 17 सितंबर, 2022 को भारत सरकार अन्य स्वयंसेवी संगठनों और स्थानीय समाज के साथ मिलकर भारत के पूरे समुद्र तट पर "स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर" पर स्वच्छता अभियान का संचालन करेगी।
    - इस अभियान में मुख्य रूप से समुद्री अपशिष्ट को कम करने, प्लास्टिक के न्यूनतम उपयोग, स्रोत पर ही पृथक्करण और अपशिष्ट प्रबंधन के विषय में जागरूकता का प्रसार किया जाएगा।

- स्वच्छ समुद्र अभियान
    - स्वच्छ समुद्र मंच के माध्यम से यूएनईपी समुद्री कूड़े और इसके नकारात्मक प्रभावों को नाटकीय रूप से कम करने के लिए विश्व भर में परिवर्तन और आदतों, प्रथाओं, मानकों और नीतियों को बदलने की मंशा से व्यक्तियों, नागरिक समाज समूहों, उद्योग और सरकारों को पारस्परिक रूप से संबद्ध कर रहा है।
    - विदित है कि वर्ष 2017 में अपनी शुरुआत के बाद से इस अभियान में अब तक 63 देश शामिल हुए हैं, जिससे स्वच्छ समुद्र अभियान समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए समर्पित सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली वैश्विक गठबंधन बन गया है।
    - हस्ताक्षरकर्ता देशों की प्रतिबद्धताएं अब दुनिया के 60 प्रतिशत से अधिक समुद्र तटों को कवर करती हैं। लैंड लॉक्ड देश भी इसके स्रोत से समुद्र की महत्ता को ध्यान में रखते हुए शामिल हो रहे हैं।
    - स्वच्छ समुद्र अभियान समुद्री कूड़े पर वैश्विक भागीदारी के लक्ष्यों में योगदान देता है, जो अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों, सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों, स्थानीय अधिकारियों और गैर-सरकारी संगठनों के लिए एक स्वैच्छिक ओपन-एंडेड साझेदारी है, जो समुद्री कूड़े और प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने में सहयोग और नवाचार करने की दिशा में प्रयास करता है। .
    - इसका उद्देश्य पांच साल के भीतर सिंगल-यूज प्लास्टिक और माइक्रोबीड्स पर प्रतिबंध लगाना है।
- एक महासागर शिखर सम्मेलन
    - इस वर्ष शिखर सम्मेलन की मेजबानी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने 9 से 11 फरवरी, 2022 के बीच संयुक्त राष्ट्र (यूएन) और विश्व बैंक के सहयोग से की थी।
    - यह शिखर सम्मेलन समुद्र में पर्यावरणीय चिंताओं को संबोधित करने के मुद्दों को आगे बढ़ाता है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा उठाए गए पहलों जैसे सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और 2015 के पेरिस जलवायु समझौते की निरंतरता में है।
    - इस शिखर सम्मेलन ने एसडीजी के लक्ष्य 14 को आगे बढ़ाया है, जिसका उद्देश्य "सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और स्थायी रूप से उपयोग करना है।

- ग्लोलिटर पार्टनरशिप परियोजना
    - यह नॉर्वे सरकार, आईएमओ और एफएओ के मध्य समुद्री कूड़े को कम करने के उद्देश्य से संचालित की जारी परियोजना है।
    - यह समुद्री कूड़े की रोकथाम और कमी के अवसरों की पहचान करने में छोटे द्वीप विकासशील राज्यों (एसआईडीएस) और कम विकसित देशों (एलडीसी) सहित विकासशील देशों को समर्थन प्रदान करती है।
    - इसके प्रमुख लक्ष्य के रूप में विकासशील देशों को समुद्री परिवहन और मत्स्य पालन क्षेत्रों के भीतर समुद्री कूड़े, विशेष रूप से प्लास्टिक समुद्री कूड़े के प्रसार का रोकथाम और उद्योगों में प्लास्टिक के उपयोग में कमी के अवसरों की पहचान करना।
- सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का दशक
    - 5 दिसंबर 2017 को संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का दशक की घोषणा की।
    - यह महासागर दशक 2021 से 2030 तक आयोजित किया जाएगा।
    - ध्यातव्य है कि महासागर दशक यह सुनिश्चित करने के लिए एक सामान्य ढांचा प्रदान करता है कि महासागर विज्ञान सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को प्राप्त करने के लिए देशों का पूरी तरह से समर्थन कर सकता है।

**भारतीय पहल**

- प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम, 2016
    - प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम, 2016 में प्लास्टिक कचरे के पृथक्करण, संग्रह, प्रसंस्करण और निदान के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु प्रत्येक स्थानीय निकाय को उत्तरदायित्वों का निर्धारण किया गया है।
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 2018
    - प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 2018 ने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) की अवधारणा प्रस्तुत की।
- सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध
    - देश में 1 जुलाई, 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। विदित है कि प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुल 19 वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है।

**निष्कर्ष**

- महासागरों पर मानव की निर्भरता कल्पना से परे है। पृथ्वी की सतह के तीन चौथाई हिस्से में महासागर हैं, जिनमें पृथ्वी का 97% जल है।
- 3 अरब से अधिक लोग अपनी आजीविका के लिए समुद्री और तटीय जैव-विविधता पर निर्भर हैं। दुनिया भर में समुद्री और तटीय संसाधनों तथा उद्योगों का बाजार मूल्य प्रति वर्ष 30 खरब अमेरिकी डॉलर या वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का करीब 5% होने का अनुमान है। महासागरों में करीब 2 लाख प्रजातियों की पहचान की गई है, जिनकी वास्तविक संख्या लाखों में होने की संभावना है।
- फलतः यह सम्मेलन समुद्र की स्वच्छता और इसकी महत्ता के विषय में वैश्विक संकल्प दर्शाने का एक अवसर है।

**स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस**